जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
158/2016
A3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सूचना अधिकार संख्या 158/2016 अनवानी श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री भोलूराम, जिन्दल रडियो एण्ड टी.वी. सेन्टर, पुरानी धानमण्डी, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ बनाम उपखण्ड अधिकारी (एसडीएम) सूरतगढ

21—11—2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री श्याम सुन्दर उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ का पत्र सं0 233 दिनांक 28.10.2016 शामिल किया गया। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री श्यामसुन्दर ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 06.09.2016 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी (एसडीएम) सूरतगढ से निम्न सूचना चाही थी:—

> 1—दिनांक 05.03.1990 को मूल निवासी प्रमाण पत्र गुलाबचन्द पुत्र ताराचंद जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल को जारी किया गया था। गुलाबचन्द द्वारा मूल निवासी प्रमाण पत्र के बाबत आवेदन से लेकर मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी होने तक के सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि देवें।
>
> 2—दिनांक 05.03.1990 क्रमांक 446 को मूल निवासी प्रमाण पत्र किस को जारी किया सूचना देवें।

अपीलार्थी श्री श्याम सुन्दर ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि प्रत्यर्थी द्वारा उसे जो जबाब दिया गया है वह उससे सन्तुष्ट नही है। इसलिए उसके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार सूरतगढ द्वारा पत्र सं0 204 दिनांक 21.09.16 से अपीलार्थी का उत्तर भिजवाया गया है कि आप द्वारा दिनांक 05.03.1990 के मूल निवासी प्रकरण पुत्र गुलाबचन्द पुत्र श्री ताराचंद जाति अग्रवाल निवासी पीलिबंगा की नकल हेतू आवेदन किया है। रिकार्ड के अवलोकन से उक्त सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध नही है व व बिन्दु सं0 2 प्रश्नात्मक है जिसका जबाब नियमानुसार नही दिया जा सकता।

अपीलार्थी के अपील पत्र के सन्दर्भ में उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपना जबाब पत्र सं0 233 दिनांक 28.10.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता के द्वारा सूचना का अधिकार का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2016 को मद संख्या 1 में दिनांक 05.03.1990 का मूल निवासी व मद सं0 2 में क्रमांक 446 का अंकन होने के कारण व 446 पर गुलाबचन्द का मूल निवासी ना होने के कारण उक्त जबाब दिनांक 21.09.2016 को दे दिया गया, अब गुलाब चंद का मूल निवासी जो क्रमांक 466 से जारी किया गया है, प्राप्त हो गया है जो नियमानुसार अपीलकर्ता कार्यालय में उपस्थित होकर चित्र प्रति का निर्धारित शुल्क जमा करवाकर नियमानुसार प्रति प्राप्त कर लेवें।

चूकिं अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं0 2 में चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इसलिए बिन्दू सं0 2 के संबंध अपीलार्थी को पत्र सं0 204 दिनांक 21.09.16 से जो उत्तर दिया गया है उचित है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
158/2016

A3/2

जहां तक बिन्दु सं0 1 की सूचना का संबंध है। अपीलार्थी ने दिनांक 05.03.1990 को गुलाबचंद पुत्र ताराचंद जाति अग्रवाल निवासी पीलीबंगा को जारी किये गये मूल निवास प्रमाण पत्र बाबत आवेदन पत्र से लेकर मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी होने की प्रमाणित प्रतियां चाही गई है। इस बिन्दु सं0 1 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा पूर्व में पत्र सं0 204 दिनांक 21.09.2016 द्वारा सूचना कार्यालय में उपलब्ध न होने बाबत अपीलार्थी को सूचित किया गया है और अब उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने अपील के प्रत्युतर में पत्र सं0 233 दिनांक 28.10.16 द्वारा गुलाब चंद का मूल निवास प्रमाण पत्र कमांक 446 की बजाये कमांक 466 पर जारी किया गया है जो प्राप्त होना बताया है। इससे प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा पूर्व में अच्छी तरह से रिकार्ड तलाश नही किया गया है और अब रिकार्ड उपलब्ध होने पर भी अपीलार्थी को इस संबंध में सूचित किया जाना भी प्रतीत नही होता है जबकि इस कार्यालय को अवगत करवाया गया है कि अपीलाकर्ता उनके कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार शुल्क जमा करवा कर प्राप्त कर सकता है।

चूंकि अब लोक सूचना अधिकारी के पास बिन्दु सं0 1 की सूचना उपलब्ध है। इसलिए अपीलार्थी की अपील बिन्दु सं0 1 की सूचना तक स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति से सात दिवस में अपीलार्थी को निशुल्क सूचना भिजवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.11.2016 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर